उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 806/का–2/2002
देहरादून, 15 जून, 2002

अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल [illegible] एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–यह आदेश 1 जून, 2002 से लागू होंगे।

3–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग–II के IV के मूल नियम 56 यथा–आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

4–उपर्युक्त से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

संख्या 806(1)/का–2/2002, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, राज्यपाल, उत्तरांचल।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव।

संख्या 308/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 जून, 2002

विषय–सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

[illegible] दिनांक 20 फरवरी 2002 के क्रम में

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 131/का–2/2002, [illegible] के उपखण्ड "अ" के बिन्दु–3 मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 के खण्ड [illegible] "मुख्य सचिव" अंकित है, के स्थान पर "मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी" पढ़ा जाये।

2–उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव।